mahindra Rise

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड (" कंपनी ") अपने सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षित, सौहार्द्रपूर्ण और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में विश्वास करता है। हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य - सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाते हैं। यौन उत्पीड़न में यौन प्रकृति का कोई भी प्रत्यक्ष या निहित अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण शामिल है।

प्रयोज्यता:

यह नीति कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होती है और इसके किसी भी स्थान (कार्यस्थल) पर कंपनी से जुड़े या वहाँ आने-जाने वाले सभी व्यक्ति इसके दायरे में आते हैं। यह नीति लैंगिक दृष्टि से बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होती है और सभी कर्मचारीगण इसके दायरे में आते हैं चाहे उनका यौन झुकाव या पसंद जो भी हो।

शिकायतें:

यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच की जाएगी और यदि यह साबित हो जाता है, तो इसे गंभीर दुराचार और कंपनी की आचार संहिता और सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति/यों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के शिकार किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्य से संपर्क करना चाहिए, जो शिकायत दर्ज करने और इसके निपटान तक सभी उचित सहायता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिकायत को घटना घटने की अंतिम तिथि से 3 महीने के भीतर संबंधित आईसीसी के यहाँ लिखित रूप में दायर कराया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्रीय आईसीसी में कार्य का अधिक बोझ होने की स्थिति में, चीफ एथिक्स ऑफिसर नई शिकायत को किसी अन्य क्षेत्रीय आईसीसी के पास भेज सकते हैं या अस्थायी रूप से किसी अन्य क्षेत्रीय आईसीसी के सदस्यों को जांच करने के लिए उस आईसीसी को सौंप सकते हैं। प्रत्येक जांच - 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

गोपनीयता:

किसी भी शिकायत से संबंधित सभी जानकारी को यथासंभव पूरी देखरेख में, गोपनीयता एवं विवेक के साथ संभाला जाएगा और ऐसी किसी भी जानकारी को जनता, प्रेस या मीडिया के समक्ष किसी भी तरह से उजागर नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भी पक्ष या गवाह की पहचान हो।

सुरक्षा:

आवश्यक होने और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से खतरा महसूस होने की स्थिति में, कंपनी शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करेगी। जांच लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता अंतरिम राहत के लिए आईसीसी को लिखित अनुरोध दे सकता है, जिस पर आईसीसी द्वारा मामले के आधार पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

सुलह निपटारा:

शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, जांच शुरू करने से पहले, आईसीसी सुलह के माध्यम से मामले का निपटारा कर सकता है, बशर्ते कि इस तरह का सुलह मौद्रिक आधार पर न हो।

झूठी / दुर्भावनापूर्ण शिकायतें:

झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज कराने वाले या जाली अथवा भ्रामक दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है।

जागरूकता और प्रशिक्षण:

कंपनी यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी और सभी कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए संवाद हेतु मंच बनाएगी।

अधिक जानकारी - इस पीओएसएच नीति के तहत जारी दिशानिर्देशों में और अधिक जानकारी उपलब्ध है।

mahindra
Rise